



सौंठों के संग अभियान 2023

16/05/23 पत्रावली आज राज्य एवं जिला क. मंत्र  
क्षेत्र के विज्ञा-निर्देशों की अनुपालना में प्रस्तावित  
अभियान 2023 के आयोजन के लिए  
संबंधित पक्षकार व अभिभागत  
केवा गया। पत्रावली दिनांक 16/05/23  
में पेश हो।

  
उपरखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

सौंठों के संग अभियान 2023  
दिनांक 16/05/23 को पत्रावली वीएम कोर्ट में दा  
पक्षकार वादी/प्रतिवादी/उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकार  
कारण को लोका अदालत की भावना से विचारण  
हेतु प्रेरित किया गया, किन्तु पत्रावली में राजीनाम  
सहमति नहीं हुई। अतः पत्रावली पुनः न्यायालय में दा  
हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 16/05/23  
को पेश हो।

  
उपरखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

26/12/23  
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप  
पी ओ. साहब दौर/अवकाशकार पक्षकार है। अत  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 26/12/23

4/12/23  
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप  
पी ओ. साहब दौर/अवकाशकार पक्षकार है। अत  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 4/12/23

13/03/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रति 4.  
पर 5 की और से पेशकार कर. के प्रति निधि उप  
जवाब हेतु समय पाहा गया। वकील वादी प्रति 4.  
1 से 3 कि तलावी हेतु तलावना पेश करने  
हेतु समय पाहा गया।

अतः -याचिका में एक अन्तैम आदेश  
दिया जाकर दि. 13/03/24 को पेश हो

C/N - 68/22

उपरखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

14/05/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. नहीं  
वकील वादीको रुक - रुक कर 5:30 PM तक  
आवाज लगवाई गई। वकील वादी या उन्हा  
कोर्ट प्रतिनिधि उप. नहीं। अतः वादी के बाद को  
अदम पेशी अदम हाजरी में थारिज किया  
जाता है। पत्रावली पेश कर शुमार दीकर पत्रावली  
पेश कर ले कम हो

उपरखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)